क्रम-संख्या–101 (घ–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन० पी० 91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 9 जून, 2021

ज्येष्ठ 19, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–2

संख्या 899/सोलह–2-2021

लखनऊ, 9 जून, 2021

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–48

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों एवं आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (अध्यापन) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाती है :–

उत्तर प्रदेश प्राविधिक ि

ृ

संक्षिप्त नाम, और प्रारंभ

1(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (अध्यापन) सेवा नियमावली, 2021 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2–उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (अध्यापन) सेवा में समूह–''क'' एवं समूह–''ख'' के पद समाविष्ट है।

परिभाषायें

3–जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम,1994 से है;

(ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य राज्यपाल से है;

(ग) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(घ) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(ङ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है,

(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(छ) "आयोग" का तात्पर्य लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से है;

(ज) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(झ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (अध्यापन) सेवा से है, जिसके अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, शोध, विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्राविधिक शिक्षा परिषद, दोनों बालक और बालिका राजकीय पालीटेक्निक, राजकीय चर्म संस्थान, नार्दन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिन्टिंग टेक्नोलॉजी और राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालयों में समूह–"क" एवं "ख" के समस्त पद हैं;

(ञ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हों तो सरकार द्वारा जारी कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;

(ट) "नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गों" का तात्पर्य समय–समय पर यथासंशोधित उक्त अधिनियम की अनुसूची–एक में विर्निदिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ठ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग–दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4–(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी में पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तनकारी आदेश न दिये जायें, तब तक सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट–एक में दी गई है,–

(एक) परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकती हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न हो; अथवा

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकती हैं; जिन्हें वह उचित समझें।

भाग–तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती, प्रत्येक श्रेणी के सापेक्ष निम्नलिखित रूप में उल्लिखित स्रोतों से की जायेगी:–

श्रेणी	पद का नाम	भर्ती का स्रोत
1	2	3
श्रेणी–एक	प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, ग्रामीण पालीटेक्निक, बालिका पालीटेक्निक	25 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा और 75 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त श्रेणी–दो में से आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
	प्रधानाचार्य, नार्दन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिन्टिंग टेक्नोलॉजी,	
	प्रधानाचार्य, राजकीय चर्म संस्थान	

1	2	3
श्रेणी–दो	(क) विभागाध्यक्ष, पालीटेक्निक (अभियंत्रण) (ख) विभागाध्यक्ष, लेदर टेक्नोलॉजी/फुटवियर टेक्नोलॉजी	100 प्रतिशत आयोग द्वारा सीधी भर्ती।
	विभागाध्यक्ष, नार्दन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिन्टिंग टेक्नोलॉजी	
श्रेणी–तीन	विभागाध्यक्ष, अभियंत्रणेत्तर विषय (मार्केटिंग एण्ड सेल्स मैनेजमेण्ट/मास कम्यूनिकेशन/माडर्न ऑफिस मैनेजमेण्ट)	100 प्रतिशत आयोग द्वारा सीधी भर्ती।
श्रेणी–चार	व्याख्याता पालीटेक्निक (अभियंत्रण एवं तकनीकी शाखायें)	100 प्रतिशत आयोग द्वारा सीधी भर्ती।
	व्याख्याता (लेदर/फुटवियर टेक्नोलॉजी)	100 प्रतिशत आयोग द्वारा सीधी भर्ती।
	कर्मशाला अधीक्षक	100 प्रतिशत आयोग द्वारा सीधी भर्ती।
श्रेणी–पाँच	व्याख्याता (अभियंत्रणेत्तर विषय) राजकीय चर्म संस्थान एवं नार्दन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिन्टिंग टेक्नोलॉजी, प्रयागराज	100 प्रतिशत आयोग द्वारा सीधी भर्ती।
श्रेणी–छः	पुस्तकालयाध्यक्ष, राजकीय/ग्रामीण/बालक/ बालिका पालीटेक्निक/ राजकीय चर्म संस्थान/ नार्दन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिन्टिंग टेक्नोलॉजी	100 प्रतिशत आयोग द्वारा सीधी भर्ती। पुस्तकालयाध्यक्ष की सीधी भर्ती हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पात्रता और शैक्षिक अर्हताओं की समस्त शर्तें लागू होंगी।

आरक्षण

6–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, उक्त अधिनियम और समय– समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा(शारीरिक रूप से विकलांग, स्वत्रंतता संग्राम सेनानियों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 तथा भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 2020 के अनुसार होगा।

भाग–चार–अर्हतायें

राष्ट्रीयता

7–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, यूगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्वी तांगानिक और जंजीवार) से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, आसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी:– ऐसे अभ्यर्थी, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण– पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, को किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता

8–सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास परिशिष्ट–दो में यथा दर्शित अर्हतायें हों।

अधिमानी अर्हता

9–(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो,

या

(दो) राष्ट्रीय कैडट कोर में "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामलें में अधिमान प्रदान किया जायेगा।

आयु

10–सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस वर्ष जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जायं, की पहली जुलाई को परिशिष्ट–दो के स्तम्भ–5 में प्रत्येक पद के सापेक्ष उल्लिखित आयु प्राप्त कर ली हो और परिशिष्ट–दो के स्तम्भ–6 में यथा दर्शित से अधिक की आयु प्राप्त न की हो:

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायं, के अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिये ऐसे चरित्र का होना आवश्यक है कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्त प्राधिकारी इस बिन्दु पर अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी:– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होंगे। नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नही होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12–सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नही होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियॉ जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नही होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो:

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन में छूट दे सकती हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

13–किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि उसने चिकित्सा परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है:

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग–पाँच–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14–नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती वर्ष के प्रक्रम के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–6 के अधीन आरक्षित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15–(1) प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा के लिये आवेदन, आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश प्रमाण–पत्र न हो।

(3) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त करने और उन्हें सारणीबद्व किये जाने के पश्चात् आयोग नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य

श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा, जो लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस संबंध में आयोग द्वारा निर्धारित मानक तक पहुंच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंको को उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा।

(4) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के कुल योग से प्रकट हो, में एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जितना वह नियुक्ति के लिये उचित समझे। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थी योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में भी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें, तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। आयोग नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अग्रसारित करेगा।

टिप्पणी:– प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पाठ्य विवरण और नियम वही होंगे जैसा कि समय–समय पर सरकार की सहमति से आयोग द्वारा विहित किया जाय।

आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16–पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर समय–समय पर यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जायेगी।

विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

17–(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिये) नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड नियमावली, 1994 में निर्धारित मानदण्ड के आधार पर की जायेगी।

टिप्पणी:– चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिये अधिकारियों का नाम–निर्देशन, समय–समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा 7 के अधीन किये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियॉ तैयार करेगा और उन्हें उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी आयोजित कर सकती है।

(4) चयन समिति, चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उसकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्त प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची

18–यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जायें तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस रीति से रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग–छः–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति

19–(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम, उसी क्रम में लेकर जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियॉ करेगा।

(2) जहाँ, भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हों, वहॉ नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेगी जब तक दोनों स्रोतों से चयन न कर लिये जायं और नियम 18 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उसी ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसाकि यथास्थिति, चयन में अवधारित किया गया हो या जैसाकि उस संवर्ग में हो, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया हो, यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जायं तो नाम नियम 18 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखे जायेंगे।

परिवीक्षा

20–(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद, यदि कोई हो, पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, किसी प्रतिकार का हकदार नहीं होगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप में या अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षाधीन अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुज्ञा दे सकता है।

स्थायीकरण

21–(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा–अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि,–

(क) वह विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, यदि कोई हो;

(ख) वह विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो, यदि कोई हो;

(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषप्रद बताया जाय;

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय; और

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहॉ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबंधों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो वहॉ उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुये आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

22–सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–सात, वेतन इत्यादि

वेतनमान

23–(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय वेतनमान परिशिष्ट– एक में दिये गये हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

24–(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबंध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो जहॉ विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा

के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि, पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्तियों, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहे हों, का परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी, अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हों, का परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग–आठ–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

25–सेवा या पद के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

26–ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली पर विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

27–जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है वहाँ उस मामलें में लागू नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है:

परन्तु यह कि जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहाँ उस नियम की अपेक्षाओं को शिथिल या अभिमुक्त करने से पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृत्ति

28–इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव, ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबंध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
आलोक कुमार,
सचिव।

परिशिष्ट–एक
{नियम 4(2), 5 और 24(2) देखिए}

श्रेणी	पद का नाम	पदों की संख्या			वेतनमान रुपये में
		स्थायी	अस्थायी	योग	
श्रेणी–एक	प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, ग्रामीण पालीटेक्निक, बालिका पालीटेक्निक	16	134	150	प्रविष्टि वेतनः 1,31,400 लेवलः 13 क 1
	प्रधानाचार्य, नार्दन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिन्टिंग टेक्नोलॉजी	01	—	01	
	प्रधानाचार्य, राजकीय चर्म संस्थान	02	—	02	
श्रेणी–दो	(क) विभागाध्यक्ष, पालीटेक्निक (अभियंत्रण) (ख) विभागाध्यक्ष (लेदर टेक्नोलॉजी / फुटवियर टेक्नोलॉजी)	36	416	452	प्रविष्टि वेतनः 1,31,400 लेवलः 13 क 1
	विभागाध्यक्ष, नार्दन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिन्टिंग टेक्नोलॉजी				
श्रेणी–तीन	विभागाध्यक्ष, अभियंत्रणेत्तर विषय (मार्केटिंग एण्ड सेल्स मैनेजमेण्ट / मास कम्यूनिकेशन / माडर्न ऑफिस मैनेजमेण्ट)	—	08	08	प्रविष्टि वेतनः 1,31,400 लेवलः 13 क 1
श्रेणी–चार	व्याख्याता, पालीटेक्निक (अभियंत्रण एवं तकनीकी शाखायें)	149	2575	2724	प्रविष्टि वेतनः 56,100 लेवलः 9 क एवं प्रविष्टि वेतन 57,700 लेवलः 10 अगला वेतन लेवल, शासनादेश संख्या–474 / सोलह–2–2020–138 (डब्लू) / 99, दिनांक 16.03.2020 में दिये गये उपबंध के अनुसार अनुज्ञेय है।
	व्याख्याता, (लेदर / फुटवियर टेक्नोलॉजी)	01	08	09	
	कर्मशाला अधीक्षक	16	40	56	
श्रेणी–पाँच	व्याख्याता, (अभियंत्रणेत्तर विषय) पालीटेक्निक, राजकीय चर्म संस्थान एवं नार्दन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिन्टिंग टेक्नोलॉजी	72	497	569	
श्रेणी–छः	पुस्तकालयाध्यक्ष, राजकीय / ग्रामीण / बालक / बालिका पालीटेक्निक / राजकीय चर्म संस्थान / नार्दन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिन्टिंग टेक्नोलॉजी	—	141	141	प्रविष्टि वेतनः 56,100 लेवलः 9 क अगला वेतन लेवल शासनादेश संख्या–474 / सोलह–2–2020–138 (डब्लू) / 99, दिनांक 16.03.2020 में दिये गये उपबंध के अनुसार अनुज्ञेय है।